19.01.23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। उक्त प्रा0पत्र का मूल वाद सं: 113/2015 अनवारी बनाम N/S महावीर कपड़ा कार्पोरेशन निस्तारण हो गया है। उक्त कारण अब उक्त प्रा0पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहव
हुक्म
मे

पुर्जा नम्बर से कम होकर
मुल वाद सं. 113/2015 अवानी
बनवारी v/s महावीर आदि
के स्थान रहें। JV

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner